फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गिरधरसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपुत, निवासी कोटड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		गोपालसिंह पुत्र जवानसिंह जाति राजपुत, निवासी कोटड़ा तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (09)

मुकदमा नम्बर 184 / 2025

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (183, 188)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08..2025	प्रार्थीगण / वादीगण / अपीलाण्ट के अधिवक्ता **बृजमोहन कुमावत** द्वारा यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा **183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/9/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
08.09.25	पत्रावली पेश। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से अधिवक्ता भगवानदास गोयल द्वारा वकालतनामा पेश। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के जवाब तथा शेष प्रतिवादीगण की तामिली हेतु दिनांक 24.09.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
24.09.25	श्रीमान पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय से बाहर होने से इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 16.10.25 को पेश हो	

क्रम संख्या व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.5.26	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 25.5.26 को पेश हो।	
25.05.26	पत्रावली पेश। वा. कुलाय अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु, न्यायालय समय में पक्षकारान् व अधिवक्ता को एक-एक कर आवाजें दी जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली में प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने से उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	